

भारतीय संसद में गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों की अस्वीकृति

स्रोत: द हंडू

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में, संसद सदस्यों की स्वतंत्र अभियक्ति के लिये महत्वपूर्ण गैर-सरकारी वधियकों को सीमित समय आवंटन के कारण भारत की संसद में अस्वीकृत कर दिया गया है।

- 17वीं लोकसभा (जून 2019 से फरवरी 2024) में इन वधियकों पर विचार-विमर्श में कमी देखी गई, जिससे व्यक्तिगत सांसदों की घटती भूमिका और संसदीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

गैर-सरकारी सदस्यों का वधियक क्या है?

- **परचिय:** गैर-सरकारी सदस्यों के वधियक उन सांसदों द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं जो मंत्री नहीं होते (अर्थात् सरकार का हसिसा नहीं होते), जिससे उन्हें अपने निरिवाचन क्षेत्रों के लिये महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** केवल गैर-सरकारी सदस्य ही इन वधियकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे स्वतंत्र विधायी प्रस्तावों को अवसर मिलता है।
 - सांसद विशिष्ट मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **प्रक्रिया:**
 - प्रस्ताव तैयार करना और नोटसि देना: सांसद कम से कम एक महीने के नोटसि पर वधियक का प्रस्ताव तैयार करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं।
 - परचिय: वधियक संसद में पेश किये जाते हैं, उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है।
 - बहस: यद्यच्यन हो जाता है, तो वधियकों पर बहस की जाती है, आमतौर पर शुक्रवार दोपहर को सीमित सत्रों में।
 - नियन्य: वधियक वापस लिये जा सकते हैं या मतदान के लिये आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
- **महत्व:** ये वधियक सांसदों को दलीय दबाव के बिना, प्रायः महत्वपूर्ण या विवादास्पद मुद्दों पर अपनी बात कहने का मंच प्रदान करते हैं।
 - इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण वर्ष 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एच.वी. कामथ द्वारा प्रस्तुत वधियक है, जिसमें संविधान में संशोधन करके केवल लोकसभा सदस्यों को ही प्रधानमंत्री पद के लिये पात्र बनाने का प्रयास किया गया था।
 - स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर-सरकारी वधियक पारति किये गये हैं, तथा वर्ष 1970 के बाद से कोई भी वधियक पारति नहीं हुआ है।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार वधियक, 2014, 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा अनुमोदित पहला गैर-सरकारी सदस्यों का वधियक था, लेकिन यह लोकसभा में पहुँचे बिना ही व्यपगत हो गया।

सरकारी वधियक बनाम गैर-सरकारी वधियक

सरकारी वधियक	गैर-सरकारी वधियक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किया जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह विधियक की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारति होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारति होने की संभावना अधिक होती है।
संसद द्वारा सरकारी वधियक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।

सरकारी वधियक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटसि होना चाहिये।
इसे संबंधित वभाग द्वारा वधिविभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।

इस वधियक को संसद में पेश
इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

सरकारी सदस्यों के वधियकों में कमी क्यों आई है?

- समय की कमी: PRS लेज़िस्लेटिव रसिरच के अँकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा में गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों पर सरिफ 9.08 घंटे जबकराज्य सभा में 27.01 घंटे का व्यय हुआ, जो कुल सत्र के घंटों का एक अंश है।
- 18वीं लोकसभा के दो सत्रों में निचले सदन में ऐसे वधियकों पर केवल 0.15 घंटे तथा राज्य सभा में 0.62 घंटे व्यय किये गए, तथा प्रस्तावों पर सबसे कम समय लगा।
- शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की तथिनिरिधारति होने से चरचा सीमति हो जाएगी, क्योंकि इसांसद अपने निरिवाचन क्षेत्रों में चले जाएँगे, जिससे चरचा के लिये समय और कम हो जाएगा।
- इन वधियकों की लोकप्रियता में गरिवट का कारण सांसदों की गंभीरता की कमी को माना जा सकता है, क्योंकि इसांसद चरचाओं में भाग ही नहीं लेते।
- गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों को पुनः शुरू करना: गैर-सरकारी सदस्यों के वधियकों को सप्ताह के मध्य में स्थानांतरति करने से भागीदारी और चरचा को बढ़ावा मिल सकता है।
- सांसदों को उनके प्रस्तावित उपायों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना तथा संसद में स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार की रक्षा करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिस:

प्रश्न. भारत की संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. गैर-सरकारी वधियक ऐसा वधियक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निरिवाचति नहीं है किन्तु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट है।
2. हाल ही में, भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर-सरकारी वधियक पारति किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में वधियक पेश किया जाने से शुरू होती है। वधियक को मंत्री या मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। पहले मामले में इसे सरकारी वधियक कहा जाता है और दूसरे मामले में इसे गैर-सरकारी सदस्य का वधियक कहा जाता है।
- दूसरे शब्दों में, एक गैर-सरकारी सदस्य का वधियक किसी मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य (निरिवाचति या मनोनीत) द्वारा पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले एक महीने की नोटसि अवधि की आवश्यकता होती है। इसका मसौदा तैयार करना उस सदस्य की एकमात्र ज़मीमेदारी है जो वधियक पेश करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- संसद द्वारा पारति पहला गैर-सरकारी वधियक मुस्लिम वकफ वधियक, 1952 था, जिसका उद्देश्य वक़फों का बेहतर शासन और प्रशासन प्रदान करना था। इसे वर्ष 1954 में पारति किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- वर्ष 2015 में राज्य सभा द्वारा पारति ट्रांसजॉर्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) वधियक, 2014 पछिले 45 वर्षों में राज्य सभा की स्वीकृतिपाने वाला पहला गैर-सरकारी वधियक बन गया। अतः वकिलप (d) सही उत्तर है।